



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फा.सं.II/39/9/2015-हिन्दी/के.उ.श.

तारीख Dated : 14.12.2017

### परिपत्र CIRCULAR

विषय : राजभाषा कार्यालयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन - संबन्धित ।

**Sub : Quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee-Regarding.**

राजभाषा कार्यालयन समिति की तिमाही बैठक श्री पुल्लेला नागेश्वरा राव, प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन की अध्यक्षता में केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 27.12.2017 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ।


It has been decided to conduct the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee under the chairmanship of Shri Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Cochin in the Conference Hall of the Hqrs. on 27.12.2017 at 11.30 am .

राजभाषा कार्यालयन समिति के सभी सदस्यों और सभी अनुभाग के प्रभारियों से अनुरोध है कि वे कृपया बैठक में उपस्थित रहें तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करें । पुनः अनुरोध है कि वे अपने कार्यभार के अधीन पिछली तिमाही के दौरान हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के बारे में भी समिति को अवगत कराएं ।

All the members of the Official Language Implementation Committee and all Section-in-charge are requested to attend the meeting and also to put forth necessary suggestions to increase the use of Official Language Hindi for the Office work. It is also requested that report regarding the progress achieved under their respective charges may also be reported.

सभी मण्डल कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने कार्यालयों की इस तिमाही की राजभाषा कार्यालयन समिति बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 22.12.2017 के अंदर मुख्यालय के भेज दें और सभी मण्डल कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों और सभी अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे मासिक रिपोर्ट (अक्तूबर व नवंबर) दिनांक 22.12.2017 के अंदर मुख्यालय को भेज दें ताकि बैठक में कार्यवृत्त व रिपोर्ट की समीक्षा कर सकें।

All Division -in- charge are requested to send the minutes of the OLLC meetings conducted during the current quarter in the concerned divisions and all division -in-charge and all section -in- charge are requested to send the monthly reports (October and November) to the O.L. Hindi Section, Hqrs. office before 22.12.2017 so that the minutes and reports may be reviewed in the meeting.

  
अमरनाथ केसरी/AMARNATH KESARI

संयुक्त आयुक्त(का.उ सत.)/JOINT COMMISSIONER[P&V]

प्रतिलिपि /Copy to:

1. आयुक्त का फाइल /अपर आयुक्त /सभी संयुक्त आयुक्त/सभी उप /सहायक आयुक्त, मुख्यालय /Commissioner's file/Addl. Commissioner/All Joint Commissioners/  
All Dy. Asstt. Commissioners,C.Excise Hqrs.
2. उप /सहायक आयुक्त, सभी मण्डल कार्यालय /The Deputy /Asstt. Commissioners, All Divisions
3. सभी अनुभाग प्रमुख /पशासन अधिकारी (प्रशासन /स्थापना )मु.ले.अ./मे.ले.अ./प्रशासन अधिकारी (आ.व.वि.)  
All Heads of Sections/Admin. Officer(Admn. &Estt.)/CAO/PAO/AO/DDO
4. जन संघक अधिकारी, मुख्यालय को सूचना एवं आवश्यक प्रबन्ध के लिए ।  
P.R.O., Headquarters for information and necessary arrangements.